संख्या- 78/2025/986/छप्पन-2025-01/2016

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक: 19 अगस्त, 2025

विषय: जनपद अलीगढ़ में धनीपुर हवाई अड्डे के विकास/विस्तारीकरण हेतु क्रय की जा रही भूमि की सुरक्षा हेतु बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 63/आर0सी0एस0-2025-बी-2(अलीगढ़)/2023 2018 दिनांक 13.06.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अलीगढ़ में धनीपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार के लिए खरीदी जा रही भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या 1739/हवाई पट्टी/2024-25 दिनांक 03.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए लोक निर्माण विभाग के आगणन जिसकी लम्बाई 12.600 कि0मी0 तथा लागत रू0 1885.73 लाख है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद अलीगढ़ में धनीपुर हवाई अड्डे के विकास/विस्तारीकरण हेतु क्रय की जा रही भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल (लम्बाई 12.600 कि0मी0) का निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 1885.73 लाख) को परीक्षणार्थ प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) को सन्दर्भित किया गया है। उक्त प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 1885.73 लाख के सापेक्ष रू0 1760.13 लाख आंकलित की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में धनीपुर हवाई अड्डे के विकास/विस्तारीकरण हेतु क्रय की जा रही भूमि की सुरक्षा हेतु बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने हेतु आगणित धनराशि रू0 1760.13 लाख (रूपए सत्रह करोड़ साठ लाख तेरह हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्रस्तर-2(10)(ख)(ii) में विहित व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि का 50% अर्थात रू0 8,80,06,500/- (रूपए आठ करोड़ अस्सी लाख छह हज़ार पाँच सौ मात्र) अवमुक्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।
2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।
4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।
5) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
6) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
9) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
10) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।
12) परियोजना की द्वितीय किश्त जारी करते समय सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन संबंधी वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 का अनुपालन किया जाएगा।
13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्धारित मानकों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रस्तावित बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण सक्षम स्तर से अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निदेशक, नागरिक उड्डयन का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित करायें। साथ ही निदेशक, नागरिक उड्डयन का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

15) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

16) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

18) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,80,06,500/- (रूपए आठ करोड़ अस्सी लाख छह हज़ार पाँच सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-41/दस-2025-26, दिनांक 13 अगस्त, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 78/2025/986/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10 ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
5. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
6. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अलीगढ़।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अलीगढ़।
10. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।